भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **713**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

पंजाब राज्य में मृदा पर रसायन और उर्वरकों के प्रभाव

713. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पंजाब राज्य में मृदा पर रसायन और उर्वरकों के प्रभाव से संबंधित कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है;
(घ) क्या सरकार ने किसानों को जैविक उर्वरक उपलब्ध कराने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान जैविक उर्वरकों पर कोई राजसहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा लुधियाना में किए गए दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोग से पता चला है कि समेकित पोषकतत्व प्रबंधन परिपाटियों ने मृदा की उर्वरता की स्थिति (ऑर्गेनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ बेहतर जैविक सक्रियता) को बनाए रखा है, और रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के परिणामस्वरूप मृदा की उर्वरता में कमी आई है।

इसके अतिरिक्त, पंजाब में 30 वर्षों के लिए समेकित पोषकतत्व प्रबंधन के साथ चावल-गेहूं प्रणाली पर किए गए अध्ययनों ने मृदा ऑर्गेनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन (एन) और फास्फोरस (पी) पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दर्शाया। इस प्रकार, यदि उर्वरकों को संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग में लाया जाए तो मृदा की उर्वरता पर उर्वरकों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है।

कुछ स्थितियों में, मुख्य रूप से ऑर्गेनिक खादों के कम उपयोग के साथ रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के कारण, मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है।

(ख) और (ग): रसायन और उर्वरक मंत्रालय इस प्रकार का अध्ययन नहीं करता है। तथापि, भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने निम्नलिखित ब्यौरे दिए हैं:

"नाइट्रोजन उर्वरकों की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता मृदा के प्रकार और उगाई गई फसल के आधार पर 30 से 50% के बीच भिन्न-भिन्न होती है। शेष नाइट्रोजन मुख्यत: नाइट्रेट लीचिंग (जिससे भूजल में नाइट्रेट संदूषण 10 मिग्रा NO_3-N/L की अनुमत्य सीमा से अधिक होता है) से नष्ट हो जाती है।

इस प्रकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन-ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों स्रोतों (कम्पोस्ट, जैव-उर्वरक, हरी खाद आदि) के मिले-जुले प्रयोग, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अलग-अलग अनुप्रयोग तथा प्लेसमेंट, धीमी गति से रिलीज होने वाले नाइट्रोजन-उर्वरकों के प्रयोग, नाइट्रीकरण अवरोधकों और नीम लेपित यूरिया आदि के प्रयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश कर रहा है।

(घ) और (ड.): सरकार 2015-16 से देश में ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित स्कीमें अर्थात परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) लागू कर रही है। इन स्कीमों के तहत किसानों को ऑर्गेनिक आदानों का उपयोग करते हुए आर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और ये स्कीमें किसानों को शुरू से अंत तक अर्थात आर्गेनिक उत्पाद के उत्पादन से लेकर विपणन तक की सहायता प्रदान करती हैं। ऑर्गेनिक उर्वरकों के ऑन-फार्म उत्पादन और इसके उपयोग के बारे में किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना इन स्कीमों का अभिन्न अंग है। किसानों को वहनीय कीमतों पर जैव उर्वरकों और आर्गेनिक खाद सहित विभिन्न आर्गेनिक आदानों के लिए पीकेवीवाई के तहत 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर/3 वर्ष और एमओवीसीडीएनईआर के तहत 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर/3 वर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने हितधारक मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन स्कीमों/कार्यक्रमों को कवर करने वाली गोबरधन पहल के तहत आर्गेनिक उर्वरकों अर्थात संयंत्रों में उत्पादित उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए ₹1500 प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) का अनुमोदन किया है, जिसका कुल परिव्यय ₹1,451.84 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) है, जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपए की कार्पस निधि शामिल है।

पीएम-प्रणाम पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को सम्पूरित करना है।

****